



2026:AHC:64475

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10475 / 2026

विकास सरोज

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	प्रमोद कुमार त्रिपाठी, प्रवीण कुमार त्रिपाठी
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए श्री वी.पी. त्रिपाठी को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 25/2026 अंतर्गत धारा 108, 351(3), 61(2) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - थारवाई, जिला - प्रयागराज में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना कथित तौर पर 01.02.2026 को घटी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट 06.02.2026 को दर्ज की गई थी। इस देरी से अभियोजन पक्ष को भारी हानि हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पूर्व, मृतक की बहन ने संबंधित पुलिस स्टेशन में एक आवेदन दिया था जिसमें कहा गया कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी और 01.02.2026 को शाम 4:30 बजे घर से निकली थी और बाद में उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला। उक्त आवेदन में दिया गया विवरण बाद में दर्ज की गई एफआईआर में लगाए गए आरोपों से स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है। विवेचना

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकारी को पीड़िता की कोई अश्लील तस्वीर या कोई आपत्तिजनक वीडियो बरामद नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु से पूर्व लगी चोटों के परिणामस्वरूप रक्तस्रावी आघात है। इसके अतिरिक्त, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और विवेचना के दौरान एकत्रित सामग्री के अनुसार, धारा 108 बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं। आवेदक ने किसी भी तरह से मृतक को आत्महत्या करने के लिए नहीं उकसाया है। अपने प्रस्तुति के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **निपुण अनेजा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 654/2017) निर्णीत दिनांक 03.10.2024 और अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (आपराधिक अपील संख्या 2177-2185/2024) निर्णीत दिनांक 18.08.2025** के निर्णयों पर भरोसा जताया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त आदर्श पटेल को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9259/2026 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2026 के माध्यम से जमानत दी गई है। आवेदक समानता का दावा करता है। आवेदक 08.02.2026 से जेल/कारागार में है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन अभिलेख से उपरोक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित रूप से दर्ज की गई है। मृतक की बहन द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दिया गया विवरण एफआईआर में बाद में जोड़े गए आरोपों से स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और विवेचना के दौरान एकत्रित साक्ष्यों के अनुसार, धारा 108 बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं। आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रत्यक्ष या निकटवर्ती कृत्य नहीं किया गया है जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने, षड्यंत्र रचने या जानबूझकर सहायता करने के रूप में माना जा सके। सह-अभियुक्त आदर्श पटेल को इस न्यायालय द्वारा जमानत

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दी जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक एक महीने से अधिक समय से हिरासत में है और आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, विचारण में बिलंब करेगा या साक्षी को डराएगा। मामले की गुण-दोषों पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **विकास सरोज** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;

(ii) अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,

(iii) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

मार्च 28, 2026

एलबीएम/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।